Dy. No. 7278-TC 18-11-10

नई दिल्ली, 14 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 151.—वायुयान नियम, 1937 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 14 की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से, जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, महानिदेशक नागर विमानन, सफदरजंग विमानपत्तन के सामने, नई दिल्ली-110003 को भेजे जा सकेंगे ;

ऐसे आक्षेप या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से पूर्व प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**–इन नियमों का संक्षिप्त नाम वायुयान (संशोधन) नियम, 2010 है ।

2. **अनुसूची 2 के अनुभाग त का संशोधन.**–वायुयान नियम, 1937 की, अनुसूची 2 में अनुभाग त में,–

   (i) पैरा 1 में, खंड (ड़) में, "दो भिन्न परीक्षकों के समाधानप्रद रूप में दो उपकरण उड़ान परीक्षण" शब्दों के स्थान पर, "एक परीक्षक के समाधानप्रद रूप में एक उपकरण उड़ान परीक्षण" शब्द रखे जाएंगे ;

   (ii) पैरा 3 में, खंड (क) में, परंतुक का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 11012/07/2010-ए]

शुभा ठाकुर, उप सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना संख्या वी-26, तारीख 23 मार्च, 1937 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 29 जुलाई, 2010 को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड (3), उप-खंड (i) में प्रकाशित सा.का.नि. संख्या 643(अ) तारीख 29 जुलाई, 2010 द्वारा अंतिम रूप से संशोधन किया गया ।

New Delhi, the 14th September, 2010

G. S. R. 151.—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by Section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objection or suggestion, if any, may be sent to the Director General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 ;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft rules

1. **Short title and commencement.**—These rules may be called the Aircraft (Amendment) Rules, 2010.

2. **Amendment of Section P of Schedule II.**—In the Aircraft Rules, 1937, in Schedule II, in Section P,—

   (i) in paragraph 1, in clause(e), for the words "two instrument flight tests to the satisfaction of two different Examiners", the words "an instrument flying test to the satisfaction of an Examiner" shall be substituted ;

   (ii) in paragraph 3, in clause (a), the proviso shall be omitted.

[F. No. 11012/07/2010-A]

SHUBHA THAKUR, Dy. Secy.

Note : The principal rules were published in the Official Gazette vide notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended by G.S.R. 643(E) dated the 29th July, 2010 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th July, 2010.